

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :- 06/2021

शीर्षक

1 शिवदान
2 बोदू

पि0 हनुमान जाति जाट निवासीगण कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. कल्याण
2. भैरू
3. रामसहाय
4. भंवरी देवी पत्नि प्रागा

पि0 प्रागा

समस्त जाति जाट निवासी कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

5. राजस्थान सरकार (भू-धारक जरिये तहसीलदार) तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर ।
6. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय शाहपुरा

प्रतिवादीगण

7. कमली देवी
8. कोयली
9. मुंगी देवी
10. मन्नी देवी

पि0 हनुमान

11. लाडा देवी पत्नि स्व0 हनुमान
12. शांति पुत्री हनुमान
13. मन्नी देवी पत्नि महादेव प्रसाद
14. मिन्दू पुत्री महादेव
15. सुरेश कुमार पुत्र महादेव
16. रामेश्वर
17. सुरजमान } रामनाथ
समस्त जाति जाट, निवासी कांट, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज0

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 6.10.2021

अतः दावा डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 579 रकबा 0.17 है0 , 582 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 रकबा 0.25 है0 वाकै ग्राम कांट तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से प्राबन्ध किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 6.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तागील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तागील		जोड़	
जोड़			